



कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com

Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक :- 01/यो0ब0-49/2015 (खण्ड-1)- 702

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका।
वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमंडल, गुमला/साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज/ गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा।

दिनांक :-19.05.2016

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना)" (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) के लिए कुल 38.552 लाख (अड़तीस लाख पचपन हजार दो सौ) रुपये मात्र का ऑन-लाईन उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :- वन विभागीय स्वीकृतादेश संख्या 07/यो0बजट-27/2013-65/स्वी0 व0 प0 दिनांक-18.12.2013 एवं आ0आ0संख्या-07/यो0बजट-36/2015-23 अ0व0प0 दिनांक-25.04.2016।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना)" (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) के लिए कुल 38.552 लाख (अड़तीस लाख पचपन हजार दो सौ) रुपये मात्र राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन किया जा रहा है।

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :-

(राशि लाख में)				
क्र० सं०	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना , उप शीर्ष 58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण	मजदूरी	19P240601796580103	32.909
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601796580323	5.643
कुल आवंटित राशि				38.552

अर्थात् कुल 38.552 लाख (अड़तीस लाख पचपन हजार दो सौ) रुपये मात्र

राशि आवंटित की जाती है। ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

(Signature)

3. वर्तमान आवंटित कुल 38.552 लाख (अड़तीस लाख पचपन हजार दो सौ) रुपय मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना)" (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष 01-वानिकी लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष 58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।
4. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी परिशिष्ट-1 में अंकित विवरणी के अनुरूप होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।
5. वन प्रमंडलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 से अधिसूचित समिति द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित दर पर तैयार किया गया है तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की गयी है। जिसकी प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को प्राप्त है। तदनुसार वर्ष 2016-17 के लिये राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।
7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।



9. उप-आवंटित राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी-पत्र- परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
10. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम-300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।
11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।
12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
13. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
15. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमंडलों को राशि आवंटित की जाएगी, किन्तु योजनाओं का व्यय "स्थल विशेष प्राक्कलन" योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जाएगा।
16. योजना के अन्तर्गत स्थल के अनुरूप निर्धारित वानिकी मापदंडों के अनुसार पौधों का रोपण किया जाना है।

17. रोपित पौधों/वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/सत्यापन असम्बद्ध प्रमंडल से कराई जाएगी।
18. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
19. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी पर के अनुरूप किया जायेगा।
20. आवंटित राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
21. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
22. तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों की मात्रा एवं गुणवत्ता को वनपाल, वन क्षेत्र पदाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के स्तर से वनरोपण योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उसके अनुश्रवण के संबंध में जारी संकल्प संख्या-2539 दिनांक 20.04.2005 एवं संकल्प संख्या-819 दिनांक 10.03.2011 के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे।
23. संबंधित योजना हेतु आवंटन पत्र के शार्टों एवं सरकार के स्तर से स्वीकृत योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन कर कार्य कराये जाने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
24. अनुमोदित योजना एवं प्राक्कलन में किसी भी परिस्थिति में विचलन नहीं किया जाय एवं स्वीकृत मापदण्ड के अनुरूप ही कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय।
25. वनरोपण स्थल पर साईनबोर्ड लगायी जायेगी जिसपर आवश्यक सूचना के साथ मजदूरी का दर भी अंकित की जाय एवं न्यूनतम मजदूरी पर का भुगतान सुनिश्चित करायी जाय।
26. कार्य की गुणवत्ता एवं वनरोपण की सफलता वन प्रमंडल पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी। अतः यह अवश्य सुनिश्चित की जाय कि उपलब्ध राशि का सदुपयोग हो।
27. अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपने स्तर से सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल एवं वनरक्षी को उपलब्ध करायेंगे।

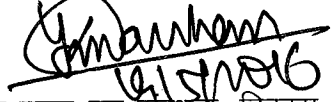


28. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

29. इस योजना के अन्तर्गत किये गये, प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न-1 पर, कार्य दर अनु0-2 पर एवं ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।



28. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

29. इस योजना के अन्तर्गत किये गये, प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न-1 पर, कार्य दर अनु0-2 पर एवं ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

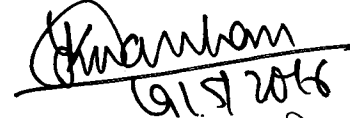
अनुलग्नक :- यथोक्त।

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01/यो0ब0-49सी0/2015 (खण्ड-1)- 702 ,राँची, दिनांक :-19.05.2016

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राँची रीजन/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


19/5/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

28. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

29. इस योजना के अन्तर्गत किये गये, प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न-1 पर, कार्य दर अनु0-2 पर एवं ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :- यथोक्त।

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01/यो0ब0-49सी0/2015 (खण्ड-1)- 702 ,राँची, दिनांक :-19.05.2016

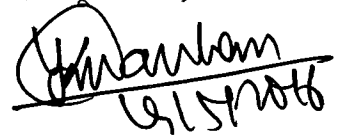
प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राँची रीजन/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

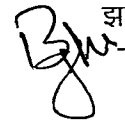
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01/यो0ब0-49सी0/2015 (खण्ड-1)- 702 ,राँची, दिनांक :-19.05.2016

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/ कोषागार पदाधिकारी, लातेहार/ कोषागार पदाधिकारी, दुमका/ कोषागार पदाधिकारी, गुमला/ कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज/ कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

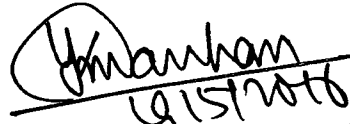


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।



पितीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोगना) के अन्तर्गत गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का जिलावार, प्रमंडलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)						
क. सं.	जिला	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय वर्ष 2016-17		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
				6648.30	1140.00	7788.30
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	सिमडेगा	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा	70.00	4.654	0.798	5.452
2	गुमला	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा	36.00	2.393	0.411	2.804
3	खूँटी	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची	78.00	5.186	0.889	6.075
4	लातेहार	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	50.00	3.324	0.570	3.894
5	जामताड़ा	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	78.00	5.186	0.889	6.075
6	गुमला	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	65.00	4.321	0.741	5.062
7	साहेबगंज	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	36.00	2.393	0.411	2.804
8	गोड्डा	गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा	82.00	5.452	0.934	6.386
योग :-			495.00	32.909	5.643	38.552


 19/12/2016
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची।

दर तालिका (प्रति हे०)

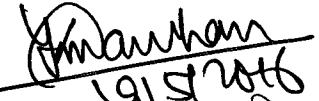
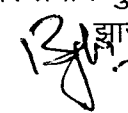
योजना का नाम : 1666 पौधा का वनरोपण (गैर वनभूमि)

पौधों की संख्या प्रति हे० :

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु०) :- 221.61

पौधों की दूरी : (3 मी० X 2 मी०)

क्र०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
1	2	3	4	5	6
क.	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)				
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	20.00	0.00	4432.20	4432.20
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	0.00	1140.00	0.00	1140.00
3	सुरक्षा पर व्यय	10.00	0.00	2216.10	2216.10
	योग :-	30.00	1140.00	6648.30	7788.30


 19/5/2016
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
 ड्यारखण्ड, राँची।




आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-49/15-1/702

दिनांक - 19-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26516	SDGAIF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	704,700.00 रुपये सात लाख चार हजार सात सैं
2	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26518	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	518,600.00 रुपये पाँच लाख अठारह हजार छः सैं
3	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26520	LTRFOR004 RAMESH PRASAD SINGH D.F.O. SFD LATEHAR	332,400.00 रुपये तीन लाख बत्तीस हजार चार सैं

1,555,700.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये पंद्रह लाख पचपन हजार सात सैं

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26522	DMKFOR003 SRI ARUN KISPOTTA D.F.O.S.F.DIVDUMKA	518,600.00 रुपये पाँच लाख अठारह हजार छः सैं
5	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26524	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	432,100.00 रुपये चार लाख बत्तीस हजार एक सैं
6	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26526	SBJFOR001 SRI KRISHNA KANT TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	239,300.00 रुपये दो लाख उनचासी हजार तीन सैं
7	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26528	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	545,200.00 रुपये पाँच लाख पैतालीस हजार दो सैं

योग:

1,735,200.00

क्रमिक योग:

रुपये बत्तीस लाख नब्बे हजार नौ सौ

3,290,900.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26531	SDGAIF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	120,900.00 रुपये एक लाख बीस हजार नौ सैं
9	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26533	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	88,900.00 रुपये अठ्यासी हजार नौ सैं
10	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26534	LTRFOR004 RAMESH PRASAD SINGH D.F.O. SFD LATEHAR	57,000.00 रुपये सत्तावन हजार
11	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26535	DMKFOR003 SRI ARUN KISPOTTA D.F.O.S.F.DIVDUMKA	88,900.00 रुपये अठ्यासी हजार नौ सैं

योग:

355,700.00

क्रमिक योग:

रुपये छत्तीस लाख छयालीस हजार छः सौ

3,646,600.00

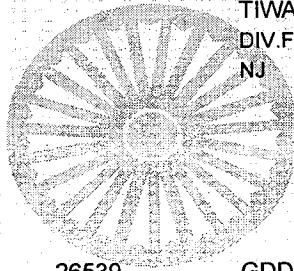
(SHRI.Y.K.SINGH CHAUMAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26536	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	74,100.00 रुपये चौहत्तर हजार एक सैं



13	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26537	SBJFOR001 SRI KRISHNA KANT TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	41,100.00 रुपये इकतालीस हजार एक सैं
----	---	-------	---	--



14	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26539	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	93,400.00 रुपये तिरनावे हजार चार सैं
----	---	-------	---	---



योग:				208,600.00
क्रमिक योग:	रुपये अडतीस लाख पचपन हजार दो सैं			3,855,200.00

(Signature)
(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND